बालूराम बनाम शंकरलाल वगै०
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 92/2002 बी०टी० नम्बर 47/2017

.05.2018 पत्रावली आज राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के महत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्पः– अजीतगढ़ में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बालूराम पुत्र भोलाराम जाट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.07.1995 से लगातार बहस में चल रहा है। प्रकरण में बहस हेतु उभय पक्षों को कई–कई अवसर दिये जा चूके है। बावजूद अवसरों के प्रकरण में बहस वकुलाय पक्षकारान् के द्वारा नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम अजीतगढ़ के पुराने भूमि खसरा नम्बर 715 रकबा 17 बिस्वा, 728 रकबा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1544 रकबा 0.21 हैक्टर 1569 रकबा 0.15 हैक्टर दर्ज किये गये है। जिसके 1/2 हिस्से पर प्रार्थी एंव 1/2 हिस्से पर दावे में वादी न. 2 कदीम से व वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रथम सैटलमेन्ट के समय गलती से इस भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी/अप्रार्थी के पिता सुवालाल के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि सुवालाल या उसके बुजुर्गान इस भूमि पर काबिज काश्त नहीं थें। सुवालाल का देहान्त हो गया है एंव उसका एकमा वारिस अप्रार्थी ही है। इसलिए इसको अप्रार्थी बनाया गया है। गिरदावरियों में भी इस भूमि के 1/2 हिस्से के प्रार्थी के नाम व 1/2 हिस्से की सुण्डाराम दावे में वादी न. 2 के नाम दर्ज है। एंव लगान भी उसी अनुसार जमा कराते आ रहे है। जिसके आधार पर प्रार्थी 1/2 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी के स्थान पर अपने नाम से

Scanned by CamScanner

बालूराम बनाम् शंकरलाल वगै0
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 92/2002 बी0टी0 नम्बर 47/2017

राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। अप्रार्थी के द्वारा 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार होने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की जाकर अप्रार्थी को तादौराने सुनवाई दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी के हक हकूकों का निर्धारण मूल वादपत्र में तय होना है। मूल वाद पत्र में हक का निर्धारण होने तक तथा अनावश्यक होने वाली मुकदमें बाजी को रोकने हेतु प्रकरण में उभय पक्षकारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझता हूँ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1544 रकबा 0.21 हैक्टर 1569 रकबा 0.15 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– अजीतगढ़ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– अजीतगढ़

Scanned by CamScanner